बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563. फैक्स नं॰ : 2231562. वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 28/07/2025

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-11/2023 2323.. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1714 दिनांक 31.10.2019 द्वारा **पीरापुर मथुरा पैक्स, प्रखंड- प्रखंड- गोरौल, जिला- वैशाली** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 13.12.2019 को मतदान संपन्न हुआ था। CWJC No. 24786/2019 उमेश कुमार -बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में प्राधिकार के पत्रांक 2313 दिनांक 13.12.2019 द्वारा पीरापुर मथुरा पैक्स की मतगणना एवं मतगणना परिणाम पर अगले आदेश तक रोक लगाया गया था।

2. CWJC No. 24786/2019 में दिनांक 09.01.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार नये सिरे से मतदाता सूची का प्रकाशन होना था। परंतु CIVIL APPEAL No. 5312/2024 में दिनांक 22.04.2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है-

It is clarified that we have not expressed any opinion on the merits of the case. The parties are, accordingly, directed to appear before the Registrar, Coopreative Society, Bihar, on 17.052024.

The impugned judgment of the High Court dated 09.01.2023 is, thus, modified and the instant appeal is disposed of in the above terms.

3. उक्त आदेश के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक- 9159 दिनांक 22.11.2024 द्वारा पीरापुर मथुरा पैक्स के निर्वाचन दिनांक 13.12.2019 के आधार पर मतगणना कराने का निदेश दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No. 18663/2024 भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2025 को 'Dismissed' कर दिया गया है।

4. अत: उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में पीरापुर मथुरा पैक्स, प्रखंड- गोरौल, जिला- वैशाली का दिनांक 13.12.2019 को हुए मतदान का मतगणना कराने एवं तदनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित करने हेतु निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है-

क्र॰	कार्यक्रम	तिथि
(i)	मतगणना	05.08.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(ii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	07.08.2025 (गुरूवार)

5. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), गोरौल को निदेशित किया जाता है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को पत्र के माध्यम से इस अधिसूचना की प्रति तत्काल रिसिव करायेंगे तथा क्षेत्र में मतगणना कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करायेंगे। जिला पदाधिकारी, वैशाली, उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0), वैशाली एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली इसका अनुश्रवण करेंगे तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे।

6. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र ई॰18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

Noti. for Pirapur Mathura PACS Vaisha. 28.07.2025

7. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक **07.08.2025** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ **134-142** पर देखा जा सकता है।

8. अधिसूचना संख्या- 1714 दिनांक 31.10.2019 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

28/7/25

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2323 पटना/ दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2323 पटना/ दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), वैशाली/ पुलिस अधीक्षक, वैशाली/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰स॰), वैशाली/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), गोरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2323 पटना/ दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2323 पटना/ दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2323 /पटना, दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2323 पटना/ दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

28/7/25

संयुक्त सचिव।